

**INDIRA GANDHI RASHTRIYA URAN AKADEMI**

FURSATGANJ AIRFIELD

RAEBARELI (INDIA)

**Information regarding IGRUA  
Under Section 4(1) (b) of the RTI Act, 2005**

**MANUAL - IV**

***Norms set for discharging of functions***

***Section 4 (1) b (iv)***

IGRUA discharges its functions within the broad framework of Rules & Regulations of Indira Gandhi Rashtriya Uran Society. Amendment, Modifications, Additions, repealing of any Rules/norms are made by the Governing Council and ratification thereof by the Central Government.

Resolutions passed by the Governing Council and ratification thereof by the Competent Authority, is available.

# इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

फुरसतगँज एअरफील्ड

रायबरेली (भारत)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुभाग 4(1) (बी) के अंतर्गत इग्रुआ से संबंधित सूचना

मैनुअल - iv

कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदण्ड

अनुभाग 4 (1) बी (iv)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान सोसायटी के नियम और विनियम के व्यापक ढांचे के अंतर्गत इग्रुआ अपने कार्यों का निर्वहन करता है। किसी भी नियम में संशोधन, परिवर्धन, रूपांतरण, निरस्तीकरण शाषी परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उसके संचालन परिषद और अनुसमर्थन से बनते हैं।

शाषी परिषद द्वारा पारित संकल्प और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका अनुसमर्थन, उपलब्ध है।